न्यायालय उपखण्ड अधिकारी धोद सु० सीकर

मु-न - 78/2019

26.02.2021

पत्रावली पेश हुई। उभयपक्ष के अभिभाषकगण उपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया। प्रकरण रिकॉर्ड दुरूस्ती का है। प्रकरण में वकील अप्रार्थीगण सं. 1 ता 5 ने जवाब न देकर प्रार्थी के प्रार्थना–पत्र को मुताबिक तहसीलदार, धोद की रिपोर्ट के स्वीकार किये जाने पर अनापत्ति जाहिर की। वकील प्रार्थी ने निवेदन किया कि ग्राम टांटनवां पटवारी हल्का भुंवाला तहसील धोद के खसरा सं. 435 रकबा 2.3500 हेक्टेयर, खसरा सं. 462 रकबा 2.4900 हेक्टेयर, खसरा सं. 544 रकबा 0.0500 हेक्टेयर, खसरा सं. 547 रकबा 0.3300 हेक्टेयर, खसरा सं. 588 रकबा 3.0000 हेक्टेयर कुल किता 5 कुल रकबा 8.22 हेक्टेयर तथा खसरा सं. 232 रकबा 6.7700 हेक्टेयर के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी के पिता का नाम फूलसिंह पुत्र जसवंतसिंह अंकित है। जबकि प्रार्थी के पिता का सही नाम फूससिंह पुत्र जसवंतसिंह है। प्रार्थी व प्रार्थी के पिता के मतदाता पहचान पत्र, प्रार्थी के आधार कार्ड व परिवार राशन कार्ड आदि दस्तावेजों में प्रार्थी का नाम फूससिंह पुत्र जसवंतसिंह अंकित है। अतः राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी के पिता का नाम फूलसिंह पुत्र जसवंतसिंह के स्थान पर फूससिंह पुत्र जसवंतसिंह दुरूस्त किया जावें।

बहस उभयपक्ष से सुनी गई। तहसीलदार, धोद से प्रकरण के संबंध में रिपोर्ट प्राप्त, जिसे शामिल पत्रावली किया गया। प्रार्थना–पत्र मय रिपोर्ट आदि का अवलोकन किया। तहसीलदार, धोद ने अपनी रिपोर्ट में अंकित किया है कि "प्रार्थी का नाम प्रेमा पुत्र शिवभगवान के स्थान पर परमानन्द शर्मा पुत्र शिवभगवान किये जाने की अनुशंषा की जाती है।" अतः मुताबिक तहसीलदार, धोद की रिपोर्ट, प्रस्तुत समस्त दस्तावेजों के अनुसार प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाना उचित है।

अतः तहसीलदार, धोद की रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम टांटनवां पटवारी हल्का भुंवाला तहसील धोद के खसरा सं. 435 रकबा 2.3500 हेक्टेयर, खसरा सं. 462 रकबा 2.4900 हेक्टेयर, खसरा सं. 544 रकबा 0.0500 हेक्टेयर, खसरा सं. 547 रकबा 0.3300 हेक्टेयर, खसरा सं. 588 रकबा 3.0000 हेक्टेयर कुल किता 5 कुल रकबा 8.22 हेक्टेयर तथा खसरा सं. 232 रकबा 6.7700 हेक्टेयर के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी के पिता का नाम फूलसिंह पुत्र जसवंतसिंह के स्थान पर फूससिंह पुत्र जसवंतसिंह दुरूस्त किये जाने के आदेश दिये जाते है। पूर्व की प्रविष्टि से किसी तरह की सरकारी, गैर सरकारी बकाया एवं उत्तरदायित्व हो तो उसके निर्वहन एवं अदायगी के लिए प्रार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा। तहसीलदार, धोद की रिपोर्ट निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा। पालनार्थ तहसीलदार, धोद को लिखा जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हों।

उपखण्ड अधिकारी
धोद सु० सीकर

Signature Not Verified
Digitally signed by Mithlesh Kumar
Date: 2021.03.02 10:20:42 IST
Reason: SelfAttested